



फिल्म सब्सिडी के लिए प्रार्थना पत्र का प्रारूप



सेवा में,

अध्यक्ष,

फिल्म बन्धु, उ०प्र०

6 पार्क रोड, हजरतगंज,

लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा निर्मित फिल्म.....
जिसकी.....प्रतिशत शूटिंग उत्तर प्रदेश में की जायेगी/गयी है
और फिल्म की कुल लागत रुपये.....(शब्दों में).....
.....सम्भावित होगा/है, के, लिए
नियमानुसार फिल्म सब्सिडी स्वीकार/स्वीकृत करने का कष्ट करें। फिल्म से सम्बन्धित विस्तृत
विवरण निम्नवत् है:-

1. प्रार्थी/निर्माता का नाम.....
2. प्रार्थी के पिता का नाम.....
3. प्रार्थी का पूरा पता.....
मो०-नं०.....ई०मेल.....
4. फिल्म का नाम/टाइटिल.....
(इम्प्या/विम्प्या से पंजीकृत प्रमाण-पत्र संलग्न है)
5. बैनर का नाम.....
6. फिल्म की भाषा.....
7. फिल्म का प्रकार.....
8. फिल्म का कथासार एवं पटकथा.....
(संवाद सहित) छः-छः प्रतियों में संलग्न किया है।
9. निर्देशक का नाम एवं
उसका पूर्व अनुभव (बायोडाटा संलग्न)
10. निर्माता का नाम एवं
.....उसका पूर्व अनुभव (बायोडाटा संलग्न)
11. कहानीकार/स्क्रिप्ट राइटर का नाम एवं
उसका पूर्व अनुभव (बायोडाटा संलग्न)..
12. मुख्य अभिनेता/अभिनेत्री का नाम एवं.....
उसका पूर्व अनुभव (बायोडाटा संलग्न- जन्म स्थान लिखना अनिवार्य है)
13. क्या प्रार्थी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त निर्माता/निर्देशक है ?
हाँ/नहीं (✓ करें)
यदि हाँ तो विवरण/साक्ष्य (स्वप्रमाणित) संलग्न करें।

14.(क) कुल कलाकारों की संख्या तथा नाम सहित सूची.....

(ख) उ०प्र० के कलाकारों की संख्या, नाम, आवासीय पता.....

जो / जिन्होंने फिल्म में अहम किरदार निभायेंगे अथवा निभाया है। (प्रमाण संलग्न करें।)

15. उत्तर प्रदेश में फिल्मांकन का प्रस्तावित / घटित स्थान (जनपद सहित) एवं दिनांक...

(विवरण संलग्न करें)

16. प्रोडक्शन का विवरण

(क) फिल्म की अनुमानित / कुल लम्बाई.....अवधि.....
मिनट

(ख) उत्तर प्रदेश में फिल्मांकन का विवरण

●अवधि.....(दिन)..... मिनट

(ग) शूटिंग शिफ्ट्स का विवरण (उत्तर प्रदेश-में)

इनडोर.....आउट डोर

.....कुल.....शिफ्ट्स स्प्रेडओवर.....माह

(घ) शूटिंग लोकेशन (जनपद सहित)

1.....

2.....

3.....

4.....

(च) फिल्मांकन की प्रथम तिथि.....

(छ) फिल्मांकन की अन्तिम तिथि.....

(ज) यूनिट के सदस्यों की संख्या.....

(झ) तकनीकी स्टाफ की संख्या.....

(थ) प्रदर्शन की सम्भावित तिथि.....

(द) प्रोडक्शन के दौरान प्रचार.....

कार्यक्रमों का विवरण

बजट समीक्षा (धनराशि रूपये में)

(क) निर्माता:.....

(ख) निर्देशक.....

(ग) कहानी, पटकथा एवं संवाद.....

(घ) उत्तर प्रदेश के कलाकार:.....

(च) तकनीकी यूनिट / प्रोडक्शन यूनिट का वेतन:.....

(छ) गीत / संगीत: रिकार्डिंग एवं मिक्सिंग चार्जेंस.....

(ज) कोरियोग्राफी:.....फाइंटिंग.....

(झ) डिजिटल फार्मेट में फिल्म निर्माण करने पर

1. रॉ-स्टाक / हार्डडिस्क पर कुल व्यय.....

2. पोस्ट प्रोडक्शन चार्जेस (एडिटिंग, साउन्ड वर्क, रि-रिकार्डिंग, विजुएल इफेक्ट्स / एनीमेशन, डी0आई / कलर ग्रेडिंग आदि तकनीकी कार्य).....

(त) लोकेशन का किराया / स्टूडियो का किराया:.....

(थ) उत्तर प्रदेश के उपकरणों का किराया:.....

(द) प्रदेश में स्थानीय यात्रा एवं माल भाड़ा व्यय:.....

(ध) प्रदेश के होटल में ठहरने का किराया.....

(न) सेट्स, डिजाइनिंग, सुपरविजन:.....

(निर्माण, माडल्स एवं विशेष प्रॉपर्टीज)

(प) कॉस्ट्यूम, मेकअप, मैटीरियल एवं ज्वैलरी.....

(फ) प्रचार-प्रसार पर व्यय

प्रिन्ट मीडिया.....

इलेक्ट्रानिक मीडिया.....

(ब) आकस्मिक व्यय:.....

(भ) फिल्म निर्माण पर अनुमानित / वास्तविक कुल लागत

वित्त पोषण का स्रोत:.....

स्वयं.....

ऋण:.....

अन्य:.....

फिल्म बन्धु प्रोसेसिंग फीस का विवरण

ड्रॉपट नं0.....दिनांक.....रूपये.....

बैंक का नाम व पता.....

स्थान :

दिनांक

आवेदक का नाम

आवेदक का हस्ताक्षर

नियम एवं शर्तें :-

1. प्रार्थना पत्र दो प्रतियों में भरा जाये।

2. सभी नाम पूर्ण अक्षरों में होने चाहिए।

3. सभी कालम भरे होने चाहिए।

4. फिल्म का कथासार एवं पटकथा (संवाद सहित) छः-छः प्रतियों में निर्धारित प्रारूप पर संलग्न हो।

5. पटकथा, राइटर एसोसिएशन, मुम्बई से पंजीकृत हो।
6. कथासार 3 पृष्ठ से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7. पटकथा कम्प्यूटरीकृत लेटर (फॉन्ट) का साइज 14 प्वाइंट तथा डेढ़ लाइन स्पेसिंग में हो।
8. कुल बजट लागत चार्टर्ड एकाउन्टेंट से प्रमाणित हो।
9. फिल्मनिर्माता/निर्देशक/फर्म/संस्था/ प्रोड्यूसर/पार्टनर्स का अद्यतन तीन वर्षों का आयकर जमा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
10. प्रोसेसिंग फीस के रूप में "फिल्म बन्धु उत्तर प्रदेश" के नाम रूपये 15.000/- का गैर वापसी बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।
11. कथासार में कथावस्तु उद्देश्य, संदेश, सामाजिक उपयोगिता तथा उ0प्र0 के सांस्कृति एवं पर्यटन के संदर्भ में स्पष्ट विवरण दिया जाना आवश्यक है।
12. फिल्म नीति उ0प्र0 के मानक पूर्ण होने पर एवं सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र दिये जाने के बाद अनुदान का 30% भुगतान किया जायेगा। अनुदान की अवशेष धनराशि का भुगतान फिल्म रिलीज होने के बाद ही किया जायेगा।
13. फिल्म का टाइटिल 'इम्पा' अथवा 'विम्पा' आदि अधिकृत संस्थाओं में पंजीकृत होना चाहिए।
14. फिल्म का प्रस्ताव केवल निर्माता अथवा निर्देशक द्वारा ही प्रस्तुत किया जाये।
15. उत्तर प्रदेश में किये गये फिल्मांकन का संबधित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा प्रदान किये जाने वाला प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
16. अध्यक्ष फिल्म बन्धु, द्वारा गठित स्क्रिप्ट कमेटी तथा वित्त विशेषज्ञ समिति की संस्तुति के उपरान्त ही अनुदान देने की कार्यवाही की जायेगी।
17. प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित समस्त अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

घोषणा-पत्र

मैं..... मेसर्स.....

.....पुत्र/पुत्री..... शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि प्रार्थना पत्र में दिये गये सभी तथ्य एवं विवरण मेरी जानकारी व विश्वास में सही है। इनमें से यदि कोई तथ्य एवं विवरण गलत पाये जाते हैं तो अनुदान के रूप में स्वीकार/स्वीकृत की गई समस्त धनराशि मय ब्याज राजस्व वसूली भॉति मुझसे वसूल किये जाने तथा नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु "फिल्म बन्धु" पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।

2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस फिल्म का निर्माण फिल्म नीति के अनुसार मूल रूप से उत्तर प्रदेश में शूटिंग करके किया जाना है/किया गया है। इसे डबिंग करके तैयार नहीं किया जाना है/किया गया है।

3. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे यह ज्ञात है कि अनुदान केवल फिल्म के रॉ-स्टाक, गीत/संगीत रिकार्डिंग, पोस्ट प्रोडक्शन (एडिटिंग, साउन्ड वर्क,

रि-रिकार्डिंग, विजुएल इफेक्ट्स/एनीमेशन, डी0आई/कलर ग्रेडिंग आदि तकनीकी कार्य) से संबंधित व्यय, फिल्म यूनिट के उत्तर प्रदेश में होटल आदि में ठहरने का किराया, शूटिंग के दौरान प्रदेश में आवागमन (लोकल कन्वेन्स के रूप में टैक्सी किराया आदि,) उत्तर प्रदेश से किराये पर लिए गये कास्टयूम, मेक-अप मैटीरियल एवं ज्वैलरी आदि, उत्तर प्रदेश के फिल्म संस्थानों/फर्मों से किराये पर लिये गये उपकरणों तथा उत्तर प्रदेश में फिल्म लोकेशन के किराये पर होने वाले व्यय के लिये ही दिया जायेगा।

4. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे ज्ञात है कि उक्त अनुदान केवल प्रथम प्रिंट की सीमा तक के लिए ही दिया जायेगा।

5. मैं सशपथ यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरी फिल्म पर अनुदान के सम्बन्ध में उसका परीक्षण फिल्म बन्धु द्वारा किया जायेगा और इस सम्बन्ध में फिल्म बन्धु एवं राज्य सरकारकी फिल्म नीति सम्बन्धी नियमों, निर्देशों व उद्देश्यों का पालन किया गया है अथवा नहीं, के आधार पर अनुदान दिये जाने/न दिये जाने का निर्णय फिल्म बन्धु द्वारा लिया जायेगा। अनुदान के लिए फिल्म बन्धु द्वारा लिए गये निर्णय पर मुझे कोई आपत्त नहीं होगी एवं इस बिन्दु पर फिल्म बन्धु का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा, जिस सम्बन्ध में मेरे द्वारा किसी अन्य फोरम पर कोई वाद-विवाद योजित नहीं किया जायेगा।

स्थान-

आवेदक का नाम

दिनांक-

आवेदक के हस्ताक्षर